परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस

दिनांक

15-05-2025

प्रेस विज्ञप्ति

डीआईजी बस्ती द्वारा रेंज के जनपदों के एसपी के साथ की गयी मासिक समीक्षा गोष्ठी,संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 15.05.2025 को पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री दिनेश कुमार पी. द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में परिक्षेत्र के जनपदो के एसपी के साथ मासिक समीक्षा गोष्ठी की गयी।

डीआईजी0 बस्ती द्वारा गोष्ठी मे निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये :

(01) हत्या, दहेज हत्या,फिरौती हेतु अपहरण एवं गम्भीर चोट के अपराधो की समीक्षा करते हुए अपने निकट पर्यवेक्षण में विवेचना का निस्तारण एवं नियमानुसार संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुये वैधानिक कार्यवाही करायी जाये एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए सजा करायी जाये।

(02) लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराकर अभियोग पंजीकरण कराते हुए इनसे संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/सम्पत्ति की बरामदगी की जाये एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये जिससे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लग सके।

(03) महिला संबंधी अपराध बलात्कार, शीलभंग, अपहरण,पॉक्सो से सम्बन्धित प्रकरणों मे तत्काल अभियोग पंजीकरण कराते हुए उनसे सम्बन्धित अभियुक्तों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये तथा समय से पत्रावली भेज कर पीड़ित को आर्थिक सहायता दिलायी जाये।

(04) पेंडिंग विवेचनाओ के निस्तारण /वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। सभी क्षेत्राधिकारीगण से माह में कम से कम दो बार प्रत्येक थाने का अर्दली रूम कराये।

(05) SC/ST अधिनियम के प्रकरणों में 60 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये तथा समय से पत्रावली भेज कर पीड़ित को आर्थिक सहायता दिलाया जाये।

(06) जघन्य अपराधों में रासुका के तहत कार्यवाही करायी जाये।

(07) जनपद स्तर पर टीम गठित कर 25 हजार के शेष 03 पुरस्कार घोषित अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करायी जाये।

(08) गिरोहबंद अधिनियम के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराते हुए अपराध से सम्बन्धित अर्जित सम्पत्ति का चिन्हांकन कराकर नियमानुसार सम्पत्ति जप्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये।

(09) गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जाये ताकि अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लग सके।

(10) NDPS एक्ट से संबंधित अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए एवं अभिसूचना इकाई को सक्रिय किया जाए तथा सिंडिकेट पर अंकुश लगाये जाने हेतु PIT NDPS ACT के तहत कार्यवाही की जाये।

(11) अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन व विक्री की रोकथाम हेतु आबकारी विभाग के साथ सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(12) आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के अन्तर्गत लगाये जाने वाले कैमरों के लाभ के बारे में जनता में प्रचार कर अधिक से अधिक कैमरे स्थापित कराये जाये एवं डाटा पोर्टल पर अपलोड कराये जाये।

(13) आपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोगों में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक सजा करायी जाय।

(14) ITSSO पोर्टल पर प्रदर्शित अभियोगों का60 दिवस के अंदर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कराकर निस्तारण कराया जाये।

(15) जनपद में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अधिक से अधिक डिजिटल वारिर्यस बनाकर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षित किया जाये।

(16) सभी मुकदमों में विवेचकगण से ई साक्ष्य एप पर साक्ष्य (फ़ोटो/वीडियो आदि) अपलोड कराया जाये।

(17) NCCRP,IGRS, पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये।

(18) मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित प्रकरणो मे शतप्रतिशत फीडिंग करायी जाये।

(19) एसओजी व सर्विलांस सेल की मदद से अभियोगो का अनावरण, अपहृताओ की शत प्रतिशत बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायी जाये।

(20) जघन्य अपराधों तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधो मे संलिप्त अभियुक्तों की नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाये।

(21) थानो पर खड़े वाहनों का निस्तारण ऑपरेशन क्लीन के तहत यथाशीघ्र कराया जाये।

(22) विगत तीन वर्षों के मुख्य मुख्य अपराधों हत्या, लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी, वाहनचोरी, गोतस्करी,गोवध, गैंगरेप आदि अभियोगो मे प्रेषित आरोप पत्र के अभियुक्तों की सूची बनाकर समीक्षा कर गैंगस्टर अधि0 के तहत कार्यवाही किया जाये।

(23) डग्गामार वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाये तथा ऑटो रिक्शा, कैब,ई रिक्शा चालको का एक माह में सत्यापन पूर्ण कराकर उन्हे आई डी कार्ड जारी किया जाये।

उक्त गोष्ठी में एसपी संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना, एसपी सिद्धार्थनगर श्री अभिषेक महाजन एसपी बस्ती श्री अभिनन्दन, व तीनो जनपद के रीडर ,परिक्षेत्रीय कार्यालय के समस्त शाखाओं के शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय, बस्ती।